संख्या-02/2017/डब्लू-09 /94-स्टा०नि०-2-2017-700(डब्लू-09)/2017

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. महानिरीक्षक, निबंधन,
   उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. अपर सचिव,
   राजस्व परिषद्,
   उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 08 फरवरी, 2017

विषय- सिविल मिस रिट याचिका संख्या-55787/2016 मे० वर्ल्ड विन्डों ईस्टेट प्रा०लि० बनाम राज्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-01-2017 में पारित आदेश के अनुरूप पक्षकार को ब्याज की धनराशि के भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित अपने पत्र संख्या-220स्टाम्प-3(डब्लू०)17, दिनांक 12-01-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उल्लेखनीय है कि मे० वर्ल्ड विन्डों ईस्टेट प्रा० लि० द्वारा मा० उच्च न्यायालय में योजित सिविल मिस रिट याचिका संख्या-55787/2016 मे० वर्ल्ड विन्डों ईस्टेट प्रा० लि० बनाम राज्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-01-2017 के अनुपालन में पक्षकार को 08 प्रतिशत ब्याज की धनराशि के भुगतान किया जाना विधिक बाध्यता है।

3. अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में पक्षकार को ब्याज के भुगतान की धनराशि की गणना की शुद्धता अपने स्तर पर कराते हुए ब्याज के भुगतान की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर कराने का कष्ट करें।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय लेखा शीर्षक ''0030-स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क-02-स्टाम्प न्यायिकेत्तर-102-स्टाम्पों की बिक्री-90 घटायें-वापसियां-9001-स्टाम्प न्यायिकेत्तर की वापसियां'' के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 01/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारो के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-02/2017/डब्लू-09(1) /94-स्टा०नि०-2-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. जिलाधिकारी गाजियाबाद।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, गाजियाबाद ।
5. निदेशक वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
6. सहायक महानिरीक्षक निबंधन, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ कि कृपया मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत अनुपालन आख्या दाखिल कराया जाना सुनिश्चित कराने क कष्ट करें।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
8. वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/2
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(भैरव नाथ शुक्ल)
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in